उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-11/2020-21

देवाशीष मुर्मू

बनाम्

जोहन हाँसदा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 25/08/21

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता देवाशीष मुर्मू, पे0—स्व0 मंडल मुर्मू, सा0—लता संथाली, थाना—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0—12/2018—19 (जोहन हाँसदा बनाम् रैयान मौजा—लता संथाली) के आदेश दिनांक—14.02.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0—12/18—19 के आदेश दिनांक—14.02.2020 के द्वारा संथाल एरगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत जोहन हाँसदा, पे0—स्व0 सामुएल हाँसदा, सा0—लता संथाली, अंचल—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा को मौजा—लता संथाली थाना नं0—53 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी जोहन हाँसदा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा—लता संथाली के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसपर निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा—लता संथाली वर्तमान में खास मौजा है और खास मौजा में प्रधान की नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा के सौलह आना रौयतों में से दो तिहाई रैयतों के राय के आधार पर मौजा का प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए। मौजा के सौलह आना रैयतों को भी ढोल बजाकर नोटिश का तामिला किया जाना चाहिए। लेकिन निम्न न्यायालय ने मौजा के रैयतों का राय लिये बिना ही उत्तरवादी जोहन हाँसदा को मौजा—लता संथाली का प्रधान नियुक्त किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम

संगत नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि उत्तरवादी जोहन हाँसदा गत प्रधान के अगला योग्य वारिश है। गत प्रधान की मृत्यु दिनांक–07.07.2017 को हो गयी थी एवं उत्तरवादी जोहन हाँसदा निर्धारित समय सीमा के अंदर दिनांक–01.08.2017 को नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था। अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए दावा किया है जो चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लता संथाली थाना नं0–53 के गत प्रधान सामुएल हाँसदा थे। उत्तरवादी जोहन हाँसदा गत प्रधान सामुएल हाँसदा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उत्तरवादी जोहन हाँसदा को गत प्रधान सामुएल हाँसदा के ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–लता संथाली का प्रधान नियुक्त किया है। अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए दावा किया है। अपीलकर्त्ता का यह दावा कि उक्त मौजा खास था, सिर्फ मौखिक दावा है। इसके समर्थन में कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/08/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/08/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

जी० नी०
सं० 144
दिनांक 13/9

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:41:28 +05:30
Location: 192.168.29.32